भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1395**

(दिनांक 14.12.2023 को उत्तर के लिए)

**केन्द्र सरकार के अंतर्गत रिक्तियां**

**1395. श्री राम नाथ ठाकुर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत मौजूद रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कोटे की रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 2023 से 1 दिसंबर, 2023 तक केन्द्र सरकार में भरी गई कुल रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1 जनवरी से 1 दिसंबर, 2023 तक केन्द्र सरकार में भरी गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कोटे की रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (घ):** रिक्तियों का होना और उनको भरना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों को उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने हेतु उपाय आरंभ करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरने के लिए एक आंतरिक (इन-हाउस) समिति गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं। केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के किसी अधिकारी को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित करना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना भी अपेक्षित है, जो कि कर्तव्य निर्वहन में उनका सहयोग करेगा। मंत्रालयों/विभागों से अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जानकारी ली जाती है तथा पथ-प्रदर्शक (हैंड होल्डिंग) कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।